

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(3)नविवि / 2021

जयपुर, दिनांक 22/07/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-7 के अनुसरण के तहत यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20.07.2021 के द्वारा यथा अधिसूचित "नसीराबाद क्षेत्र" के लिये तैयार किये गये नसीराबाद मार्टर प्लान- 2041 अनुमोदन कर दिया है।

उक्त नसीराबाद मार्टर प्लान-2041 की प्रति का अवलोकन नगर पालिका, नसीराबाद के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

नवनीत कुमार
(नवनीत कुमार)
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, अजमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नसीराबाद।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालवी।

||
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय